बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, , बेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, बेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 16/01/2024

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-11/2023 खण्ड 97 प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 2423 दिनांक 27.12.2023 द्वारा बेला पैक्स, प्रखंड- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, जिसके अनुसार दिनांक 16.01.2024 एवं 18.01.2024 को नामांकन का कार्यक्रम निर्धारित है। इस बीच न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के आदेश ज्ञापांक 18 दिनांक 04.01.2024 द्वारा बेला पैक्स की मतदाता सूची से कतिपय नाम हटाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु बेला पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम नामांकन के स्तर से निम्नवत पुनर्निर्धारित किया जाता है-

(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	22.01.2024 (सोमवार) एवं 23.01.2024 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	24.01.2024 (बुधवार) एवं 25.01.2024 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	29.01.2024 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	06.02.2024 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	06.02.2024 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	08.02.2024 (गुरूवार)

2. **प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), औरंगाबाद न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के आदेश दिनांक 04.01.2024 के आलोक में संशोधित मतदाता सूची का व्यापक प्रकाशन दिनांक 19.01.2024 को पूर्व से विनिर्दिष्ट स्थलों पर करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन उसी तिथि को प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे।**

3. **प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), औरंगाबाद उपर्युक्त निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे।**

4. बेला पैक्स के पूर्व के निर्वाचन कार्यक्रम के आलोक में दिनांक 16.01.2024 को दायर किये गये नामांकन पत्र न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगे। अर्थात् संशोधित मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं द्वारा दायर नामांकन पत्र की ही मान्यता निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

5. अधिसूचना संख्या- 2423 दिनांक 27.12.2023 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

16/1/24

(पुरूषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 97 पटना/ दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 97 पटना/ दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰)औरंगाबाद/ पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स॰ स॰), औरंगाबाद/ वरीय अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 97 पटना/ दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 97 पटना/ दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 97 पटना/ दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।